[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 2020

सा.का.नि. (अ). जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 09 अगस्त, 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 7/12/2019-डीजीटीआर के अंतर्गत सिंगापुर (एतश्मिनपश्चात जिसे विषयगत देश संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल ऑफ़ मॉलिक्यूलर वेट 3000 -4000' (एतश्मिनपश्चात जिसे विषयगत माल संदर्भित किया गया है) जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिनपश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्ष 3907 20 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 267(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 09/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 7 अप्रैल, 2015, द्वारा लागू किया गया था, को बनाये रखने के मामले की समीक्षा आरम्भ की थी;

और जबकि, विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात किये जाने वाले विषयगत माल के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी , भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खंड-1 में दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/12/2019-डीजीटीआर के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत माल का लगातार पाटन हुआ है और पाटित आयातों के शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने कि संभावना है;

(ii) विषयगत देश से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षत्ति उठानी पड़ी है;

(iii) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को हटाए जाने की दशा में पाटन और क्षत्ति के जारी रहने की संभावना को दर्शाती है;

(iv) इसके अलावा यह दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस समय प्रतिपाटन शुल्क को हटाने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षत्ति जारी रहेगा;

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात किये जाने वाले विषयगत माल के आयात पर लगने वाला प्रतिपाटन शुल्क का यथासंशोधित रूप में लगाया जाना जारी रखा जाये;

अतः अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गयी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गयी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गयी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं और किसी भी निर्यातक द्वारा निर्यात किये गए हैं तथा भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (8) में सामने दी गयी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (7) में सामने दी गयी प्रविष्ट राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

क्र.सं.	**उप-शीर्ष**	**वस्तु का विवरण**	**मूल देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**मापन की इकाई**	**मुद्रा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	3907 20	फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल ऑफ़ मॉलिक्यूलर वेट 3000 -4000	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	मै. शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पी टी ई) लि.	45.73	एम टी	यूएस डॉलर
2.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	153.89	एम टी	यूएस डॉलर

3.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	सिंगापुर के अलावा कोई भी देश	सिंगापुर	कोई	153.89	एम टी	यूएस डॉलर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फाइल संख्या 354/92/2014-टीआरयू (पीटी. I)]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार